

प्रेषक,

डॉ० सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-08 फरवरी, 2019

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-190/35-21/वे.का./2018-19, दिनांक-27.12.2018 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-62/2018/1564/सैंतीस-2-2018-1(7)/2017, दिनांक-18.04.2018 तथा शासनादेश सं०-80/2018/2363/सैंतीस-2-2018-1(7)/2017, दिनांक-19.07.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0210-उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के मानक मद 01-वेतन में सम्भावित बचतों से उक्त लेखाशीर्षक के ही मानक मद 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में ₹0-1.00 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में ₹0-1.50 लाख एवं 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में ₹0-3.75 लाख इस प्रकार कुल ₹0-6.25 लाख (रूपये छः लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोजित करते हुए उक्त लेखाशीर्षक के निम्नलिखित मानक मदों में कुल ₹0-27.45 लाख (रूपये सत्ताईस लाख पैंतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01-वेतन	17.16
03-मंहगाई भत्ता	2.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	0.50
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	1.50
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.14
29-अनुरक्षण	0.80
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.75
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.60
योग-	27.45

(रूपये सत्ताईस लाख पैंतालिस हजार मात्र)

- (1) बचतों के सही होने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र० का होगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस योजना/मद से धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है उस योजना/मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में किसी अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (3) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - (4) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
 - (5) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि को आहरित कर पी.एल.ए., बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
 - (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
 - (7) मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व उक्त कार्य हेतु गठित आगणन पर निदेशक, पशुपालन विभाग/शासन, जो भी सक्षम स्तर हो, का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
 - (8) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0210-उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-यू.ओ.-40/दस-2019, दिनांक-29.01.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पु0सं0-11/2019/4293(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा० प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।